



अपील की सुनवाई का अज्ञातकार
 इस न्यायालय कोर्ट। उसय पक्ष
 की बटस सुनी गई। पत्रावली
 वास्तु आदेश परमिस्क आपति
 दिनांक 23.6.17 को पेगडौ।

23.6.17

अभिभावक उसय पक्ष उपस्थित।
 वकील अपीलांत ने प्रथमा पत्र प्रस्तुत
 कर निवेदन किया कि अपीलावली इंतकाव
 मू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2)
 के अन्तर्गत आता है। अतः माननीय संभागीय
 आयुक्त, बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने
 हेतु प्रथमा पत्र 0-7 R-10 स्वीकार किया जाकर
 अपील धौंटाई जावे। प्रथमा पत्र की प्रति
 रेस्पोंडेन्ट के Adv को दिखाई गई। रेस्पोंडेन्ट
 के Adv ने प्रथमा पत्र स्वीकार करने में कोई
 आपति जाहिर नहीं की है। अतः प्रथमा
 पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सूच्य अपील
 एवं फार्म नं. 3 के साथ प्रस्तुत दस्तावेज
 वकील अपीलांत को माननीय संभागीय
 आयुक्त, बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत
 करने हेतु वापिस धौंटाई जाती है।
 अतः अस्तगत अपील का निस्तारण जरिये
 Withdrawal किया जाता है। अपील
 निर्णीत दार्भित कर नम्बर से फार्म की
 जाकर पाठ तकसीव अभियेक्षागार में
 जमा कराई जावे। आदेश सुनाया
 गया।

श्री. जिला कलक्टर (प्रशासन)

कार्यालय रिप
 अपील प्रकरण

लविन्द्रसिंह बनाम बशीर

मीलांट की ओर से श्री
 वक्ता द्वारा अपील एक
 5 पर पेश की गई है।
 मील न्यायालय के
 अधिकार में है।
 अपीलकृत आदेश दिनां
 णित प्रति पेश की है त
 दस्तावेजात पेश किये
 अपील अन्दर मियाद पेश
 स्थगन प्रार्थना पत्र म
 है।
 कालतनामा, तलवाना,
 ल अपील पेश की हैं।
 अवलोकनार्थ / आदेश

25.4.17

कल 0 (प्र0) महो

30/1/17
 1/1/17
 1/1/17

आदेश दि
 में अपील
 दस्तावेज
 कराने हेतु